

विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर

क्रमांक: विराकॉ / 2017 /

दिनांक 17.06.2017

आवश्यक सूचना / नोटिस

राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय परिसर में छात्रों के द्वारा किसी भी प्रकार के पोस्टर / बैनर / स्टीकर / पम्फ्लैट / कैनोपी / टेण्ट आदि लगाना पूर्णतः वर्जित है। यह कृत्य "राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम" (The Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः यदि किसी छात्र द्वारा महाविद्यालय परिसर / द्वार / दीवार पर पोस्टर / बैनर / स्टीकर / पम्फ्लैट / कैनोपी / अस्थायी टेण्ट आदि लगाये गये तो ऐसे छात्रों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, साथ ही उन छात्रों को आगामी छात्रसंघ चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

प्राचार्य

क्रमांक: विराकॉ / 2017 /

दिनांक 17.06.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय वेबसाईट
2. छात्र सूचना पट्ट, विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर।

प्राचार्य